न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्रुतगामी न्यायालय, प्रथम, बलरामपुर।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–01/2017

1–गोलू उर्फ नजीर अहमद पुत्र रफीक, निवासी ग्राम कोट बाजार तालाब, बघेल, थाना पयागपुर, जिला बहराइच।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....विपक्षी।

मु0अ0सं0–1379/2017
धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट
थाना–कोतवाली नगर।
जनपद–बलरामपुर।

आदेश

04.10.2017

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक गोलू उर्फ नजीर अहमद की ओर मु0अ0सं0–1379/2017, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद बलरामपुर में जमानत पर छोड़े जाने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से शपथी रफीक अहमद का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शपथ–पूर्वक यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत हुआ है न ही वहॉ विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी इस प्रकार है कि अहमद हसन उर्फ कालिया का एक संगठित गिरोह है, जिसका गैंग लीडर अहमद हसन उर्फ कालिया है। इस गैंग के सक्रिय सदस्य 1–अली अकबर 2–गोलू उर्फ नजीर 3– मोनू सिंह उर्फ योगेन्द्र प्रताप सिंह 4– अतुल सिंह 5–अभय प्रताप सिंह उर्फ शिवम है। इसके गिरोह का गैंग लीडर अपने एवं गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक लाभ के लिए भा0दं0वि0 के अध्याय 16,17,22 में वर्णित अपराधों को करने के अभ्यस्त है, इनके दुस्साहसिक कुकृत्यों से जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है, इनके आतंक एवं भय के कारण जनता का कोई व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही दने का साहस नहीं करता है। इस गैंग के द्वारा दिनांक 08.05.2017 की रात्रि में सुगवा फूड्स प्रा0 लि0 कम्पनी मो0 आनन्द बाग बलरामपुर के कमरे का दरवाजा तोड़कर कम्पनी के कलेक्शन के पन्द्रह लाख रूपये व मोबाइल फोन आदि लूट कर उसमें रह रहे कर्मचारीगण को बॉधकर भाग

जाने का जघन्य वारदात को कारित किया गया, फलस्वरूप अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0—1238/2017, धारा 394 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनोंपरान्त धारा 395,412 भा0दं0सं0 में तरमीम किया गया। उपरोक्त गैंग लीडर एवं गैंग के सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु इनके विरूद्ध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम की कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः अभियुक्तगण 1—अहमद हसन उर्फ कालिया 2—अली अकबर 3—गोलू उर्फ नजीर 4—मोनू सिंह उर्फ योगेन्द्र प्रताप सिंह 5— अतुल सिंह 6—अभय प्रताप सिंह उर्फ शिवम उपरोक्त के विरूद्ध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करें। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट दिनांकित 08.09.2017 संलग्न है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जमानत का यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी सीधा—सादा शान्ति—प्रिय कानून का पालन करने वाला नवयुवक है, कभी किसी अपराध में लिप्त नहीं रहा है। प्रश्नगत मुकदमा थाना बलरामपुर नगर द्वारा फर्जी कार्यगुजारी दिखने के उद्देश्य से चलाया है, जिसका सत्यता से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने कोई संगठित अपराध करके न तो धन एकत्र किया है और न ही किसी गिरोह का सदस्य रहा है और प्रार्थी किसी अनैतिक या आर्थिक अपराध में किसी न्यायालय से दोषसिद्ध नहीं रहा है। प्रार्थी करीब 4 माह से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी की जमानत सम्भ्रान्त व्यक्ति लेने को तैयार है। प्रार्थीगण जमानत पर छूटने के पश्चात न तो फरार होगा और न ही गवाहों पर बेजा प्रभावित करेगा। अतः प्रार्थी—अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाये।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है और तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उल्लिखित अपराध गम्भीर प्रकृति के है। अभियुक्त के विरूद्ध गैंग का सदस्य रहते हुए, अपने आर्थिक, भौतिक, दैहिक व दुनियाबी लाभ के लिए गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित करने का आरोप है।

अभियुक्त गोलू उर्फ नजीर अहमद के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रस्तुत गैंगचार्ट में दर्शित मामला, मु0अ0सं0—1238/2017, अन्तर्गत धारा 395, 412 भारतीय दण्ड संहिता थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में दर्शित अपराधों की प्रकृति को देखते हुए पत्रावली पर यह विश्वास किये जाने का कोई

आधार नहीं पाया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के पश्चात किसी आपराधिक क्रिया—कलाप में संलिप्त नहीं रहेगा।

तद्नुसार अपराध की प्रकृति एवं मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का कोई आधार होना नहीं पाया जाता है।

अतएवं प्रार्थी/अभियुक्त गोलू उर्फ नजीर अहमद का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश—
द्रुतगामी न्यायालय, प्रथम,
बलरामपुर।

दिनांक:04.10.2017